न्यायालय, अपर समाहर्त्ता गुमला
आदेश

सुखन लोहरा
बनाम
दीपु भगत

वाद सं0 :– 05/2018–19
वाद का प्रकार :– SAR Appeal

अपीलार्थी श्री सुखन लोहरा पिता–स्व0 सोमरा लोहरा ग्राम–कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के एस0ए0आर0 वाद संख्या–07/2015'–2016 मे दिनांक–09.04.2018 को पारित आदेश से विक्षुब्द होकर उपायुक्त गुमला के न्यायालय मे अपील दायर किया गया था। उपायुक्त गुमला द्वारा उक्त वाद को सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे हस्तांतरित किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया तथा इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित वहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम–कुदरा के खाता नं0–86 प्लॉट नं0–904 रकबा–0.60 एकड से संबंधित है। उनके द्वारा बताया गया कि खाता नं0–86 का खतियान रिविजनल सर्वे में सुखन लोहरा व घुरन लोहरा के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी सुखन लोहरा की मृत्यु दिनांक–02.10.2018 को होने के पश्चात उनके दो पुत्रों जितबाहन लोहरा एवं सुमीत लोहरा को पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि उत्तरवादी द्वारा अपनी कारण पृच्छा में यह अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त जमीन को खतियानी रैयत के पुत्र सोमरा लोहरा द्वारा निबंधित बिकय पत्र दिनांक–22.03.1963 के द्वारा बोधन साहु को बिकी किया था तथा बोधन साहु ने पुनः उस जमीन को उत्तरवादी की माता रतनी देवी को निबंधित बिकय पत्र दिनांक–06.04.1884 द्वारा बिकी कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उनके पूर्वज लोहरा जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य है प्रमाण स्वरुप अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जबकि बोधन साहु तेली जाति से संबंधित है जो पिछडी जाति में आते है किसी भी दृष्टिकोण से अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को छोड कर अन्य व्यक्ति द्वारा खरीदी नही जा सकती है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित ओदश विधि सम्मत नही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाय।

अपीलार्थी के द्वारा साक्षय के रुप में निम्नलिखित कागजातों की छाया प्रति समर्पित किया गया है।
1 जाति प्रमाण पत्र

Scanned with CamScanner

2 खतियान की छाया प्रति

3 JLJR 2004(3) के 657 दाखिल

उत्तवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित वहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में दायर एस0ए0आर0 वाद सं0–06/2015–16 मौजा कुदरा के खाता नं0–86 प्लॉट नं0–904 रकबा–0.60 एकड़ से संबंधित है। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि आर0एस0 खतियान में अपीलार्थी के पूर्वज सुखन लोहार वो घुरन लोहार के खतियान में जाति (कौम) लोहार दर्ज है। उनका यह भी कहना है कि दिनांक–25.01.2005 को सोमरा लोहार ने पट्टा संख्या–226 द्वारा इस खाता की भूमि को बुधराम चीक बडाईक से बिकी किया है जिसमें वे अपना जाति लोहार लिखे है जो अनुसूचित जन जाति में नही आते है। ऐसे स्थिति में जमीन वापसी का मामला नही बनता है। अपीलार्थी का यह कहना की उनके पिता ने बोधन साहु को मौखिक या वंधिक भूमि दिया था पूर्णतः गलत है। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक–08.04.2008 को अंचल अधिकारी सिसई ने विस्तृत जाँच प्रतिवेदन सिसई थाना को दिया था जिसमें स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता सोमरा लोहार से वैद्य तरीके से 1963 में भूमि बोधन साहु को बिकी की गई है। उसके बाद बोधन साहु ने श्रीमती रतनी देवी को प्रश्नगत भूमि को बिकी कर दिया गया है। जिसपर उनका शांति पूर्वक दखल कब्जा है एवं दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करती चली आ रही है। अपीलार्थी द्वारा अपनी जाति लोहार से लोहरा बन कर वाद लाया गया है जबकि खतियान से स्पष्ट है कि आवेदक लोहार जाति के सदस्य है। उत्तरवादी के द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय के अभिलेख में साक्ष्य के रुप में कागजात जमा है, जो निम्नवत है:–

1बिकी पट्टा सं0–651 दिनांक–22.03.1963 की छाया प्रति

2 बिकी पट्टा सं0–1032 दिनांक–06.04.1984 की छाया प्रति

3 शुद्धि पत्र की छाया प्रति

4 मालगुजारी रसीद बोधन साहु के नाम निर्गत

5 मालगुजारी रसीद रतनी देवी के नाम

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस, रुलिंग, कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी लोहार जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में नही आते है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार,कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रॉंची के पत्रांक–07/जा. नि.019–08/04 का 355 रॉंची दिनांक–19.01.2006 के आधार पर लोहार जाति को स्थानीय जॉंच रहन सहन ,वेश भुषा, खान पान एवं लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,जो वर्ष 2006 से लागू है जबकि उत्तरवादी की ओर से निम्न न्यायालय के अभिलेख में जमा कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के पिता– सोमरा लोहार ने विवादग्रस्त भूमि को निबंधित पट्टा सं0–657/1963 से श्री बोधन साहु को बिकी कर दिया गया

Scanned with CamScanner

है। बोधन साहु के द्वारा निबंधित पट्टा सं0–1032/1984 के द्वारा रतनी देवी पति लक्ष्मी भगत को बिकी कर दिया। जिसके आधार पर उत्तरवादी की माता दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा कर रहें है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की बिकी अपीलार्थी के पिता के द्वारा वर्ष 1963 में किया है उस वक्त लोहार जाति अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही थे।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
गुमला

अपर समाहर्त्ता,
गुमला

Scanned with CamScanner